

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अप्रैल 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलमी खजाना बिल (एटीबी)
1	2	3	4	5	
1	आंध्र प्रदेश	8667	853	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1706	3	--	-
3	असम	3983	57	--	-
4	बिहार	5834	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4892	--	1	4608
6	गोवा	622	314	--	-
7	गुजरात	5090	501	--	-
8	हरियाणा	806	1262	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	800
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखण्ड	288	--	--	-
12	कर्नाटक	6046	--	--	13000
13	केरल	2245	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	959	--	-
15	महाराष्ट्र	43977	661	--	4000
16	मणिपुर	162	105	--	-
17	मेघालय	755	43	9	-
18	मिज़ोरम	367	47	--	-
19	नगालैंड	1720	35	--	-
20	उड़ीसा	11688	1522	88	13180
21	पुदुचेरी	321	--	--	807
22	पंजाब	1152	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	2000
24	तमिलनाडु	6937	--	40	12414
25	तेलंगाना	5919	1293	--	-
26	त्रिपुरा	389	9	--	-
27	उत्तराखण्ड	973	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3406	134	--	-
29	पश्चिम बंगाल	9297	608	214	-
	कुल	127244	8405	668	50808

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।